MESSAGES FROM THE LOK SABHA

(I) The Appropriation Bill, 1983

(II) The Appropriation (No. 2) Bill, 1983

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following messages received from the Lok Sabha, signed by the Secretary of the Lok Sabha:

(I)

"In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith the Appropriation Bill, 1983, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 19th March, 1983.

The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."

(II)

"In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith the Appropriation (No. 2) Bill, 1983, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 19th March, 1983.

The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."

Sir, I lay a copy of each of the Bills on the Table.

REFERENCE TO THE NON-PAYMENT OF DUES TO CANE-GROWERS IN U.P.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now we take up the Calling Attention motion.

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन् मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है । पिछली बार 16 तारीख को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर गन्ना किसानों की दुर्दशा के बारे में जिक्र किया था । उनका बकाया नहीं मिला है (व्यवधान)

श्री उपसभापति : ठीक है ।

श्री कलराज मिश्र : आपने कहा था कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उसको आप स्वीकार कर लेंगे लेकिन श्रीमन् ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया गया है अभी तक उसकी स्वीकृति नहीं दी गई । सेशन समाप्त होने वाला है और इस सेशन के अन्दर ही उस पर बहस होनी आवश्यक है । इसलिये मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस सम्बन्ध में आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से विचार करने के लिए स्वीकृति प्रदान करें ।

श्री उपसभापति : सप्ताह शुरू होगा, अगर आपने दिया है तो उस पर जरूर विचार होगा ।

श्री राम नरेश कुशवाहा (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है । (व्यवधान)

श्री उपसभापति : फिर आज दिन भर बजट पर बहस होगी तब भी आप इस विषय में बोल सकते हैं । (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, हम सब लोगों ने कालिंग अटेंशन नोटिस दिया हुआ है, इस पर बहस होनी चाहिये ।

श्री राम नरेश कुशवाहा : उपसभापति महोदय, मैं बदाऊं में गिरफ्तार हुआ था लेकिन उसकी कोई सूचना आपने नहीं दी । यह विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है । मैं वहां पर 106 आदमियों के साथ गिरफ्तार हुआ था । चवालीस आदमी आमरण अनशन कर रहे हैं...

श्री उपसभापति : आने दीजिए तब पूछूंगा ।

श्री राम नरेश कुशवाहा : कई जगहों में यह हो रहा है । बस्ती जिले में राम मिलन सिंह भूतपूर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी इसी मसले को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं... (**व्यवधान**)

श्री उपसभापति : जब आयेगा तो आप कहियेगा ।

श्री राम नरेश कुशवाहा : सबकी सहमति से हमने आपको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था । लेकिन उस पर विचार करने के लिए आपको मौका नहीं है ।

श्री सदाशिव बागाईतकर (महाराष्ट्र) : तुरन्त आपको इंटीमेट करना चाहिए ।

श्री राम नरेश कुशवाहा : किसानों का इतना बड़ा मसला है । आपको 16 को दिया था आज की तारीख में विचार करने के लिए सब लोगों ने... (**व्यवधान**)

श्री उपसभापति : अभी कल छुट्टी थी । Let me see. All right. I have just received it.

श्री राम नरेश कुशवाहा : उसको कल कर दीजिए... (**व्यवधान**)

श्री उपसभापति : अब आ गया है मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा उसको देख लेने दीजिए । (**व्यवधान**) कल छुट्टी रही । आई होगी तो मैं देख लूंगा ।

REFERENCE TO THE ALLEGED WASTEFUL EXPENDITURE BY C.P.W.D. IN M.PS. FLATS at SOUTH AVENUE

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार) : निर्गुट सम्मेलन के लिए... सुन तो लीजिए बात तो सुनिये—यह कहा गया कि बहस अगले सेशन में होगी क्या होगी लम्बी चौड़ी बहुत बड़ी... (**व्यवधान**) बातें, बहसें की गयी ।

श्री उपसभापति : छोड़िये उस पर बहस होगी ।

श्री शिव चन्द्र झा : उसके मुताल्लिक कुछ बातें हैं जिस पर आप कालिंग अटेंशन ले सकते है वह आपके सामने हैं ।

श्री उपसभापति : है, तो उसको देखा जायेगा । देखेंगे जो आपका कालिंग अटेंशन है ।

श्री शिव चन्द्र झा : दूसरी बात उपसभापति महोदय, यह है कि उसी तरह से न्यूक्लीयर एनर्जी कमीशन के बारे में भी है । कुछ उस पर भी चर्चा करेंगे... (**व्यवधान**)

श्री उपसभापति : बजट पर भी कुछ बोलिएगा या...

श्री शिव चन्द्र झा : बजट में तो पैसे की बात आती है । उसमें कहेंगे यह नहीं ।

श्री उपसभापति : अब छोड़िए । बिजिनेस अनाऊंस हो गया है ।

श्री शिव चन्द्र झा : तीसरी बात यह है, उपसभापति महोदय कि मैंने पहले भी सदन में कहा था कि साउथ एवेन्यू में जो हम लोगों को सुविधाएं है, सर्विसेज है, एम पीज की ओर खास करके साउथ एवेन्यू की जो इन्क्वायरी आफिस है जहां से ये सुविधाएं मिलती हैं— it is in a mess. It is a den of inefficiency and corruption.

श्री उपसभापति : उसके लिए अलग से मिलकर बात कीजिए । ... (**व्यवधान**) उसकी चर्चा यहां करें सदन में यह अच्छा नही लगता है । आप अलग से मिलकर बात करिये । हम देखेंगे ।